रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2014/ज्येष्ठ 29, 1935
No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2014/JYAISTHA 29, 1935

राष्ट्रीय आवास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2014

सं. जी.एस.आर. एनएचबी/सेवा/01/2014.—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 की 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से, बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और केंद्रीय सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियमन, 1997 में संशोधन करने के अतिरिक्त निम्नलिखित विनियमों का निर्माण करता है, यथा:-

1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाय।
 (2) इन्हें 01 दिसंबर, 2013 से लागू माना जाएगा।
2. राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियमन,1997 में उप-विनियम (3) हेतु विनियमन 35 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(3) परिवहन एवं धुलाई हेतु किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 70 रुपये होगी"

मोहम्मद मुस्तफा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./157/14]

टिप्पणी :-राष्ट्रीय आवास बैंक (कर्मचारी) सेवा विनियमन,1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, अनुभाग 3 (i) में दिनांक 11 अप्रैल, 1997 को प्रकाशित हुए थे, जो कि बाद में संशोधित किए गये थे देखें मा.का.नि. 650 (अ) दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 एवं एनएचबी/एसटीएफ/पीओएल./27 दिनांक 27 सितंबर, 2007.

NATIONAL HOUSING BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2014

No. G.S.R.NHB/SER/01/2014 .—In exercise of the powers conferred by section 35 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, namely:—

1. (1) These regulations may be called the National Housing Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2014.

(2) They shall be deemed to have come into force on 1st December, 2013.

2. In the National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997, in regulation 35, for sub-regulation (3), the following shall be substituted, namely :—

"(3) Actual expenses incurred for transport and porterage will be reimbursed subject to a maximum limit of ₹ 70/-.".

MOHAMMAD MUSTAFA, Chairman and Managing Director

[ADVT. III/4/Exty./157/14]

Note : - The National Housing Bank (Officers') Service Regulations, 1997 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(i), dated 11th April, 1997, which was further amended *vide* G.S.R. 650(E) dated 30th October, 1998 and NHB/STF/POL/27 dated 27th September, 2007.

India Code

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.